FORM NO. III

फर्दअहकाम

( नियम– 26 )

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर धोरीमन्ना–बाड़मेर

उनवान: नारायणराम बनाम आसुराम

प्रा0पत्रसं0 51/2025

GCMS 2025/135

किस्म मुकदमाः–राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज आदेशिका | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए। |
|---|---|---|
| 16.05.2025 | वादी के वकील श्री गंगाराम विश्नोई ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जो बाद जांच दर्ज होकर दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड एडी से तलब होकर पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी का इंतजार होकर आज पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी का इंतजार होकर आईन्दा दिनांक 01.07.2025 को पेश हो।<br><br>(भागीरथराम)<br>सहायक कलक्टर<br>धोरीमन्ना | |
| 01.07.25 | पत्रावली पेश हुई। वादी स्वयं व वादी वकील अनुपस्थित। आज न्यायालय समय में वादी मय वकील को रुक-रुक कर अलग-अलग समय में 3 बार आवाज दिलवाई गई लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ इसका तात्पर्य वादी मय वकील उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं।<br>अतः उक्त वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 2 व 3 वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दाखिल दफ्तर किया जाता है।<br><br>सहायक कलक्टर<br>SDO धोरीमन्ना | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:09:00 IST
Reason: SelfAttested